

कार्यालय अंचल अधिकारी, डोमचांच

पत्रांक.....223/

दिनांक.....27/02/15/

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि हर्षवर्द्धन पाण्डेय की परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित ग्राम लंगरापरास खाता नं०- 02, प्लॉट नं०- 22 के पार्ट के 0.74 हेक्टेयर (रकबा- 1.83 एकड़) एवं मौजा- डोमचांच के खाता नं०- 1339, प्लॉट नं०- 06, रकबा- 1.17 एकड़ (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006 के अर्न्तगत **Settlement of Rights** की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव क्षेत्र में पडने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित कि जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा - (3) (1) (e) के अनुसार विशेष रूप में संक्षेप किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानवाले सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्पराओं वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा- 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।



Ramnar
27/2/15